भाग चार : खण्ड एक

[1]मध्य प्रदेश, आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) अधिनियम 1999

(दिनांक 21 अप्रैल, 1999 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण" में दिनांक 24 अप्रैल, 1999 को प्रथम बार प्रकाशित की गई।

आदिम जनजातियों को शोषण से बचाने की दृष्टि से, उसके खातों पर खड़े हुए वृक्षों में उनके हितों का संरक्षण करने से संबंधित विधि को समेकित तथा संशोधित करने और अन्य विधियों तथा क्षेत्र में की परिवर्तित परिस्थितियों में सामन्जस्य स्थापित करने के लिए विधि बनाने हेतु अधिनियम।

भारत के गणराज्य के उनचासवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ

(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम 'मध्यप्रदेश आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) अधिनियम, 1999' है।

(2) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करें।

(3) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश पर है।

2. परिभाषाएँ - इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "आदिम जनजाति" से अभिप्रेत है वे जनजातियाँ जो राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 65 की उपधारा (6) के अधीन आदिम जनजाति के रूप में घोषित की गई हों और उसके अन्तर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में उस रूप में विनिर्दिष्ट "अनुसूचित जनजातियाँ" आती हैं;

(ख) "संहिता" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959);

(ग) "कलेक्टर" से अभिप्रेत है संबंधित जिले का कलेक्टर तथा उसके अन्तर्गत ऐसे जिले का अपर कलेक्टर भी आता है जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन कलेक्टर की शक्तियों का प्रयोग करने तथा कृत्यों का पालन करने के लिए विशेष रूप से सशक्त किया गया हो;

(घ) "खाता" से अभिप्रेत है भूमि का टुकड़ा जिसका भू-राजस्व के लिए पृथक् से निर्धारण किया गया है तथा जो किसी आदिम जनजाति के भूमिस्वामी द्वारा धारित है;

(ङ) "विनिर्दिष्ट वृक्ष" से अभिप्रेत है अनुसूची में विनिर्दिष्ट वृक्षों की प्रजातियाँ;

(च) अभिव्यक्ति "भूमिस्वामी" का वही अर्थ होगा जो उसके लिये संहिता में दिया गया है।

3. आदिम जनजाति के भूमिस्वामी हम के उसके खाते पर खड़े विनिर्दिष्ट वृक्षों में हित का संरक्षण -

(1) ऐसा भूमि स्वामी, जो आदिम जनजाति का हो, के खाते पर खड़े हुए विनिर्दिष्ट जाति के कोई भी वृक्ष इसमें इसके पश्चात् उपबंधित के सिवाय काटे नहीं जायेंगे, उनका परितक्षण नहीं किया जाएगा या

(2) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् या उसके पूर्व आदिम जनजाति के वर्तमान भूमि स्वामी द्वारा या उसके पूर्ववर्ती द्वारा, उसके खाते में के विनिर्दिष्ट वृक्षों की लकड़ी के विक्रय के लिए की गई कोई संविदा, चाहे वह कैसी भी हो, शून्य होगी, जिसमें उसकी उस भूमि, जिस पर ऐसे वृक्ष खड़े हुए हों, सहित या उसके बिना की, दोनों ही संविदाएँ सम्मिलित हैं।

---

1. म. प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 24.4.99 पृष्ठ 565-566 पर प्रकाशित।

4. विनिर्दिष्ट वृक्षों को काटने की अनुज्ञा

(1) आदिम जनजाति का कोई भूमि स्वामी, जो अपने खाते पर खड़े हुए किसी विनिर्दिष्ट वृक्ष को काटने का आशय रखता है, कलेक्टर को, विहित प्रारूप में, उसके लिये पूरे और संपूर्ण कारणों को देते हुए, ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाए, अनुज्ञा के लिए आवेदन करेगा।

(2) कलेक्टर, ऐसे नियमों के अनुसार जो विहित किए जाएँ, आवेदन की जाँच करवाएगा उस क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले तहसीलदार, उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) तथा प्रभागीय अधिकारी की रिपोर्ट पर विचार किए बिना, आवेदन को मंजूर या नामंजूर नहीं करेगा :

परन्तु ऐसी कोई अनुज्ञा, उस दशा में, उत्तराधिकारी के सिवाय, मंजूर नहीं की जाएगी जहाँ किसी भी रीति में, हक के अर्जन की तारीख के पश्चात्, पांच वर्ष की कालावधि व्यतीत नहीं हो गई हो।

स्पष्टीकरण - संहिता के अधीन हक के अर्जन की तारीख नामांतरण के प्रमाणीकरण की तारीख होंगी।

(3) किसी एक वर्ष में, वृक्ष काटने की अनुज्ञा विनिर्दिष्ट वृक्षों, की उतनी संख्या तक ही सीमित होगी जिससे भूमिस्वामी, धन के रूप में ऐसी रकम प्राप्त कर सके जो किसी एक वर्ष में पचास हजार रुपये से अधिक न हो या जैसा कि कलेक्टर द्वारा आवेदन में विनिर्दिष्ट किए गए प्रयोजन को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझा जाए :

परन्तु विशेष परिस्थितियों के अधीन कलेक्टर, सम्यक् विचार करने के पश्चात् किसी एक वर्ष में एक लाख रुपये से अनधिक मूल्य या एक वृक्ष के लिए इनमें से जो भी उच्चतर हो अनुज्ञा दे सकेगा।

5. वृक्ष काटना, तथा विनिर्दिष्ट वृक्षों का विक्रय मूल्यांकन

(1) ऐसे विनिर्दिष्ट वृक्षों का, जिनका काटा जाना अनुज्ञात किया गया है, मूल्यांकन प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा, ऐसी रीति में जैसी कि विहित की जाये, तैयार की गई रिपोर्ट पर आधारित होगा।

(2) कलेक्टर, धारा 4 के अधीन प्रदत्त अनुज्ञा की एक प्रति प्रभागीय वन अधिकारी को पृष्ठांकित करेगा। जो वृक्षों की कटाई करने, थप्पी लगाने, उनके परिवहन तथा विक्रय के लिये उत्तरदायी होगा, और उनका प्रतिफल भूमिस्वामी तथा कलेक्टर के संयुक्त खाते में विहित रीति में विप्रेषित करेगा।

6. भूमिस्वामी को प्रतिफल का भुगतान -

(1) भूमिस्वामी को देय प्रतिफल की रकम राष्ट्रीकृत बैंक की किसी शाखा में या जिले के केन्द्रीय सहकारी बैंक में, कलेक्टर तथा भूमिस्वामी के संयुक्त खाते में निक्षिप्त की जाएगी, जिसका प्रचालन उनके दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा।

(2) कलेक्टर, संयुक्त खाते में आहरण करने में यह सुनिश्चित करते हुए सर्वाधिक सावधानी तथा सतर्कता बरतेगा कि आहरण भूमिस्वामी के सर्वोत्तम हित में और उसकी वास्तविक तथा असली आवश्यकता को पूरा करने के प्रयोजन के लिये ही किया जाए।

7. प्रक्रिया - धारा 9 के अधीन की कार्यवाहियों से भिन्न इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के संबंध में यह समझा जायेगा कि समस्त प्रयोजन के लिये वह संहिता के अधीन कार्यवाहियाँ है और संहिता में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा।

8. अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन - अपील, पुनरीक्षण तथा पुनर्विलोकन के उपबंध, जैसे कि वे संहिता में विहित किए गए हैं, कलेक्टर द्वारा इस अधिनियम के अधीन पारित किए गए किसी आदेश को भी लागू होंगे।

9. उल्लंघन के लिये दंड -

(1) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों व उपबंधों के उल्लंघन में कोई व्यक्ति जो आदिम जनजातियों के खातों में खड़े हुए विनिर्दिष्ट किन्हीं वृक्षों को काटता है, उनका परितक्षण करता है, उनमें कांट-छांट करता है या उनको अन्यथा नुकसान पहँचाता है या उनके किसी भाग को हटाता है तो दोषसिद्धि होने पर ऐसे कठोर कारावास का जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा और ऐसे जुर्माने का, जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा, दायी होगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन कार्रवाई करने का आधार गठित करने वाले किन्हीं विनिर्दिष्ट वृक्षों की लकडी का अभिग्रहण कर लिया जायेगा और वह राज्य सरकार को राजसात हो जाएगी। परन्तु यदि भूमिस्वामी के प्रति कोई षड़यंत्र, कपट और छल किया जाता है तो इस प्रकार राजसात

लकड़ी के विक्रय आगम उस आपराधिक मामले के निपटारे के पश्चात् कलेक्टर के आदेश के अधीन पचास हजार रुपये की अधिकतम सीमा के अध्यधीन रहते हुए पचास प्रतिशत तक की सीमा तक भूमिस्वामी को दिये जायेंगे।

(3) कोई सरकारी सेवक या कोई अन्य व्यक्ति, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों के उल्लंघन में असद्भावनापूर्वक आशय से कार्य करता हैं या सम्यक् सावधानी के बिना नियमों में यथा उपबंधित कोई आदेश पारित करता है या कोई असत्य रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, विधि के अभिव्यक्त उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो वह दोषसिद्धि पर ऐसे कठोर कारावास से जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा और ऐसे जुर्माने से जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन कार्यवाहियों या दंड पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उक्त सरकारी सेवक, उसको लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई के लिये भी दायित्वाधीन होगा।

10. अपराध संज्ञेय होंगे - धारा 9 के अधीन समस्त अपराध संज्ञेय होंगे।

11. नियम बनाने की शक्ति -

(1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिये, अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समस्त नियम विधानसभा के पटल पर रखे जायेंगे।

12. निरसन तथा व्यावृत्ति - मध्यप्रदेश प्रोटेक्शन ऑफ एबओरिजिनल ट्रायब्स (इन्ट्रेस्ट इन ट्रीज) एक्ट, 1959 (क्रमांक 11 सन् 1956) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से निरसित हो जाएगा :

परन्तु निरसित अधिनियम या नियमों के अधीन की गयी कोई कार्रवाई, जारी की गयी कोई अधिसूचना, प्रस्तुत की गयी कोई रिपोर्ट या पारित किए गए किसी आदेश के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह इस अधिनियम के अधीन, यथास्थिति, की गई है, प्रस्तुत की गई है या पारित की गई/गया है।

अनुसूची

(धारा 2 (ङ) देखिये)

विनिर्दिष्ट जाति के वृक्षों की सूची

1. सागवान (टेक्टोना ग्रेंडिस)
2. बीजा (अेरोकारपस मारसूपियम)
3. शीशम (डलबर्जिया लैटिफोलिया)
4. साल (शोरिया रोबस्टा)
5. तिन्सा (आंउजीनिया ऊजैनैन्सिस)
6. साजा (टर्मिनेलिया टोमेन्टोसा)
7. महुआ (मधुका इंडिका)
8. भिर्रा (क्लोरोक्जीलान स्वीटीनिया)
9. करंज (पोंगामिया ग्लेबरा)
10. तेन्दू (डाययोस्पायरस मेलानॉक्सलॉन)
11. लेन्डिया (लेगर स्ट्रोमिया पार्वीफ्लोरा)
12. धावड़ा (एनोगाइसस लेटीफोलिया)
13. खैर (अकोसिया केटेचू)
14. खमार (मेलाइना आरबोरिया)
15. चन्दन (सेंटलम अल्बम)
16. हल्दू (एडाईना कार्डिफोलिया)
17. आम (मेंजीफेरा-इंडिका)
18. जामुन (यूजीनिया-यूजेनिन्सिस)
19. इमली (टेमेरिंडस इंडिका)
20. अर्जुन (टर्मिनेलिया अर्जुना)

THE MADHYA PRADESH ADIM JAN JATIYON KA SANRAKSHAN (VRAKSHON ME HIT) ADHINIYAM, 1999

[No. 25 of 1999]

CONTENTS

Secs.

1. Short title, extent and commencement
2. Definitions
3. Protection of interest of Bhumiswami belonging to Aboriginal Tribes in specified trees on his holding
4. Permission to cut the specified trees
5. Valuation, cutting trees and sale of specified trees
6. Payment of consideration of the Bhumiswami
7. Procedure 456 8. Appeal, Revision, Review
9. Punishment for contravention
10. Offence to be cognizable
11. Power to make rules 12. Repeal and Saving
Schedule

THE MADHYA PRADESH ADIM JAN JATIYON KA SANRAKSHAN (VRAKSHON ME HIT) ADHINIYAM, 1999

[No. XXV of 1999]

An Act to consolidate and amend the law relating to protection of interest of Aboriginal Tribes in the trees standing on their holdings with a view to save them from exploitation and to bring the law in consonance with the other laws and the changed situations on the field.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Fiftieth Year of the Republic of India as follows :—

1. Short title, extent and commencement.- (1) This Act may be called **The Madhya Pradesh Adim Jan Jatiyon Ka Sanrakshan (Vrakshon Me Hit) Adhiniyam, 1999.**

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint. (3) It extends to the whole of Madhya Pradesh.

2. Definitions.- In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) “Aboriginal Tribes means the tribes declared by the State Government as Aboriginal Tribes under sub-section (6) of Section 165 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) and includes “Scheduled Tribes’ specified as such with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 342 of the Constitution of India;

(b) “Code” means the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959);

(c) “Collector” means the Collector of the district concerned and includes an Additional Collector of such district who is specifically empowered by the State Government by notification to exercise and perform the powers and functions of the Collector under this Act;

(d) "Holdings' means a parcel of land separately assessed to land revenue and held by a Bhumiswami belonging to an aboriginal tribe;

3. Protection of interest of Bhumiswami belonging to Aboriginal Tribes in specified trees on his holding.- (1) No trees of the specified species, standing on the holding of a Bhumiswami belonging to an Aboriginal Tribe shall he cut, girdled or pruned except as provided for hereinafter.

(2) Any contract whatsoever entered into after the commencement of this Act or prior to it, either by the present Bhumiswarni belonging to an Aboriginal Tribe, or his predecessors for the sale of wood of the specified trees on his holding, both with or without his land in which they stand shall be void.

4. Permission to cut the specified trees.- (1) Any Bhumiswami belonging to an Aboriginal Tribe, who intends to cut any specified tree standing on his holding shall apply for permission to the Collector, in the prescribed form, giving full and complete reasons thereof in such manner as may be prescribed.

(2) The Collector shall have the application enquired into in accordance with such rules as may be prescribed and shall not grant or reject the application without considering the report from Tahsildar, the Sub-Divisional Officer (Revenue) and the Divisional Forest Officer having territorial jurisdiction:

Provided that no such permission shall be granted in a case where a period of five years has not elapsed after the date of acquisition of title in the land in any manner except by succession.

Explanation.- The date of acquisition of title shall be the date of certification of mutation under the Code.

(3) The permission to cut the trees in a year shall be restricted only to such number of specified trees as may fetch the Bhumiswami such amount of money, not exceeding rupees fifty thousand in a year as is considered by the Collector to be adequate to meet the purpose specified in the application:

Provided that under special circumstances the Collector may, after due consideration, grant permission in a year for a value not exceeding ‘[rupees two lakhJ or the value of one tree, whichever is higher.

5. Valuation, cutting trees and sale of specified trees.- (1) The valuation of the specified trees permitted to be cut shall be based on the report of the Divisional Forest Officer prepared in such manner, as may be prescribed.

(2) The Collector shall endorse a copy of the permission granted under Section 4 to the Divisional Forest Officer who shall be responsible for cutting, stacking, transport and sale of the trees and shall remit consideration thereof to the joint account of the Bhumiswami and the Collector, in the prescribed manner.

6. Payment of consideration of the Bhumiswami.- (1) The amount of consideration payable to the Bhumiswami shall be deposited in any branch of a Nationalised Bank or the Central Co-operative Bank of the district in the joint account of the Collector and the Bhumiswami to be operated jointly by both of them.

(2) The Collector shall exercise utmost caution and care in withdrawals from the joint account ensuring that the same is done in the best interest of the Bhumiswami and for the sole purpose of meeting his bona-fide and genuine requirement.

7. Procedure.- The proceedings under this Act, other than those under Section 9 shall for all purposes be deemed to be proceedings under the Code and the procedure laid down in the Code shall be followed.

8. Appeal, Revision, Review.- The provisions of Appeal, Revision and Review as in the Code shall also apply to any order passed by the Collector under this Act.

9. Punishment for contravention.- (l) Any person who cuts, girdles, prunes or otherwise damages any specified trees standing on the holding belonging to the Aboriginal Tribes, or removes any part thereof, in contravention of the provisions of this Act or the rules made thereunder, shall,

on conviction be liable to rigorous imprisonment which may extend to three years and fine which may extend to ten thousand rupees.

(2) Wood of any specified trees constituting the basis of action under sub-section (1) shall be seized and stand forfeited to the State:

Provided that if conspiracy, fraud and deception is played on the Bhumiswami, the sale proceeds of the wood, so forfeited shall be given to the extent of fifty per cent, to Bhumiswami subject to a maximum limit of Rupees Fifty Thousand under the order of Collector, after disposal of the criminal case.

(3) Any Government servant or any other person who acts with malafide intention in contravention of any of the provisions of this Act or rules made thereunder or passes an order or submits an incorrect report as provided under the rules or contravenes the express provisions of law or does not submit any report within a period of two months from the date of first communication shall on conviction be punishable with rigorous imprisonment which may extend to three years and fine which may extend to ten thousand rupees.

(4) Without prejudice to the proceedings or punishment under subsection (3) the said Government servant shall also be liable for disciplinary action under the service rules applicable to him.

10. Offence to be cognizable.- All offences under Section 9 shall be cognizable.

11. Power to make rules.- (1) The State Government may, by notification, make rules for carrying out the provisions of this Act.

(2) All rules made under this Act shall be laid on the table of the Legislative Assembly.

12. Repeal and Saving.- The Madhya Pradesh Protection of Aboriginal Tribes (Interest in Trees) Act, 1956 (No. 11 of 1956) and rules made thereunder shall stand repealed with effect from the commencement of this Act:

Provided that any action taken, notification issued, report submitted or order passed under the repealed Act or Rules shall be deemed to have been taken, issued, submitted or passed, as the case may be, under this Act.

The Schedule

[See Section 2(e)]

Sr. No.	List of Specified Trees	Species
1	Sagwan	(Tectona grandis)
2.	Bija	(Pterocarpus Marsupium)
3.	Shisham	(Dalbergia latifolia)
4.	Sai	(Shorea robusta)
5.	Tinsa	(Ougenia Oogeneries)
6.	Saja	(Terminalia tomentosa)
7.	Mahua	(Madhuca indica)
8.	Bhirra	(Chloroxylon swietnia)
9.	Karanj	(Pongama glabra)
10.	Tendu	(Diospyros Melanoxylon)
11.	Lendia	(Legers toremia Parviflora)
12.	Dhawra	(Anogeissus Latifolia)
13.	Khair	(Acacia Catechu)
14.	Khamar	(Gmelina arborea)
15.	Chandan	(Santalurn album)

16.	Haldu	(Adina Cordifolia)
17.	Aam	(Mangifera indica)
18.	Jamun	(Eugenia eugenesis)
19.	Imli	(Tamarindus indica)
20.	Arjun	(Terminalia arjuna)

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 562] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 8 सितम्बर 2022 — भाद्रपद 17, शक 1944

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 8 सितम्बर 2022

क्र. 9915/डी. 95/21–अ/प्रारू./छ.ग./22. – छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनाँक 23–08–2022 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 13 सन् 2022)

छत्तीसगढ़ आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) (संशोधन) **अधिनियम, 2022.**

छत्तीसगढ़ आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) अधिनियम, 1999 (क्र. 12 सन् 1999) में और संशोधन करने हेतु **अधिनियम**।

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) (संशोधन) अधिनियम, 2022 कहलायेगा।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

धारा 2 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) अधिनियम, 1999 (क्र. 12 सन् 1999), (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 2 में,-

(एक) खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात -

"(ग) "कलेक्टर" का वही अर्थ होगा, जो उसके लिए छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 11 में समनुदेशित है;"

(दो) खण्ड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"(छ) "अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)" का वही अर्थ होगा, जो उसके लिए छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा 11 में समनुदेशित है; "

धारा 4 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 4 में,-

(एक) उप-धारा (1) में, शब्द "कलेक्टर" के स्थान पर, शब्द "अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)" प्रतिस्थापित किया जाये।

(दो) उप-धारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

"(2) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), ऐसे नियमों के अनुसार, जो कि विहित किये जायें, आवेदन की

जांच करायेगा तथा राजस्व विभाग एवं वन विभाग के संयुक्त जांच प्रतिवेदन पर विचार कर अनुज्ञा देने के संबंध में निर्णय करेगा."

(तीन) उप–धारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्–

"(3) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) व्दारा, आवेदन पर निर्णय, अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों व्दारा विहित समय–सीमा एवं प्रकिया के अनुसार लिया जायेगा।"

4. मूल अधिनियम की धारा 5 का लोप किया जाये। धारा 5 का विलोपन.

5. मूल अधिनियम की धारा 6 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :– **धारा 6 का संशोधन.**

"**(6) भूमिस्वामी को प्रतिफल का भुगतान.**–भूमिस्वामी को देय प्रतिफल की राशि का भुगतान, अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों एवं प्रकियाओं के अनुसार किया जायेगा ।"

6. मूल अधिनियम की धारा 8 में, शब्द "कलेक्टर" के स्थान पर, शब्द "अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)" प्रतिस्थापित किया जाये। **धारा 8 का संशोधन.**

7. मूल अधिनियम की धारा 9 में, – **धारा 9 का संशोधन.**

(एक) उप–धारा (1) में, शब्द "दस हजार रूपये" के स्थान पर, शब्द "एक लाख रूपये" प्रतिस्थापित किया जाये।

(दो) उप–धारा (2) में, शब्द "कलेक्टर" के स्थान पर, शब्द "अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)" तथा शब्द "पचास हजार रूपये" के स्थान पर, शब्द "पांच लाख रूपये" प्रतिस्थापित किया जाये।

(तीन) उप–धारा (3) तथा (4) का लोप किया जाये।

अटल नगर, दिनांक 8 सितम्बर 2022

क्र. 9915/डी. 95/21–अ/प्रारू./छ.ग./22. – भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की संमसंख्यक अधिसूचना दिनांक 08–09–2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 13 of 2022)

THE CHHATTISGARH ADIM JAN JATIYON KA SANRAKSHAN (VRAKSHON ME HIT) (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2022.

An Act further to amend the Chhattisgarh Adim Jan Jatiyon Ka Sanrakshan (Vrakshon Me Hit) Adhiniyam, 1999 (No.12 of 1999).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy-third Year of the Republic of India, as follows:-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Adim Jan Jatiyon Ka Sanrakshan (Vrakshon Me Hit) (Sanshodhan) Adhiniyam, 2022.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Section 2.

2. In Section 2 of the Chhattisgarh Adim Jan Jatiyon Ka Sanrakshan (Vrakshon Me Hit) Adhiniyam, 1999 (No. 12 of 1999), (hereinafter referred to as the Principal Act),-

(i) for clause (c), the following shall be substituted, namely:-

"(c) "Collector" shall have the same meaning as assigned to it in Section 11 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959);"

(ii) after clause (f), the following clause shall be added, namely :-

"(g)"Sub-Divisional Officer (Revenue)" shall have the same meaning as assigned to it in Section 11 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959);"

3. In Section 4 of the Principal Act,- **Amendment of Section 4.**

(i) in sub-section (1), for the word "Collector", the words, "Sub-Divisional Officer (Revenue)" shall be substituted.

(ii) for sub-section (2), the following shall be substituted, namely:-

"(2) The Sub-Divisional Officer (Revenue) shall get the application scrutinized in accordance with such rules as may be prescribed and shall decide about providing permission on considering the joint enquiry report of the Revenue Department and the Forest Department."

(iii) for sub-section (3), the following shall be substituted, namely:-

"(3) The decision on application by Sub-Divisional Officer (Revenue) shall be taken in time limit and as per procedure prescribed by rules made under this Act."

Omission of Section 5. 4. Section 5 of the Principal Act shall be omitted.

Amendment of Section 6. 5. For Section 6 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"**6. Payment of consideration of the Bhumiswami**.- Payment of amount of the consideration payable to the Bhumiswami shall be done as per the rules and procedures made under this Act."

Amendment of Section 8. 6. In Section 8 of the Principal Act, for the word "Collector", the words "Sub-Divisional Officer (Revenue)" shall be substituted.

Amendment of Section 9. 7. In Section 9 of the Principal Act,-

(i) in sub-section (1), for the words "ten thousand rupees", the words "one lakh rupees" shall be substituted.

(ii) in proviso to sub-section (2), for the words "Rupees Fifty Thousand", the

words "five lakh rupees" and for the word "Collector", the words "Sub-Divisional Officer (Revenue)" shall be substituted.

(iii) sub-section (3) and (4) shall be omitted.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2022.